



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 04/3/2020

कमांक 3977 / अकादमी / संबद्धता / 2020

अधिसूचना

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से सत्र 2020-2021 की स्थाई/अस्थाई संबद्धता/ नवीनीकरण /पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता / सीट संख्या में वृद्धि प्राप्त करने, नवीन महाविद्यालय, नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व से संचालित विषयों की उत्तरवर्ती कक्षाओं की अस्थाई संबद्धता प्राप्त करने हेतु म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल / केन्द्रीय निकाय की अनुमति के साथ विश्वविद्यालय में संपूर्ण जानकारी (आवश्यक प्रपत्रों) के साथ एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क 18% GST सहित जमा करने की अंतिम तिथि नियमानुसार रखी गई है।

क्र.	समस्त पाठ्यक्रम/संकाय/सामान्य/व्यावसायिक	निर्धारित अंतिम तिथियां
1	कला, वाणिज्य, विज्ञान, समाज विज्ञान, गृह विज्ञान, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, प्रबंधन एवं अन्य सामान्य पाठ्यक्रमों की सत्र 2020-21 में अस्थाई संबद्धता, नवीनीकरण, निरंतरता, सीट संख्या में वृद्धि प्राप्त करने, नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व से संचालित विषयों की अत्तरवर्ती कक्षाओं की अस्थाई संबद्धता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि	20-03-2020
2	चिकित्सा शिक्षा के समस्त संकाय के केवल निरंतरता के प्रकरण	20-03-2020
3	25 % अतिरिक्त बिलम्ब शुल्क सहित (with Late Fee) आवेदन करने की अंतिम तिथि	10-04-2020
4	उच्च शिक्षा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से संबंधित संबद्धता जारी करने की अवधि 60 दिवस	

NOTE :-

- 1 महाविद्यालय **MP-Online** के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि पश्चात, पांच दिवस के अन्दर संपूर्ण आवेदन पत्र (Part-A) मय संलग्नकों प्रस्तुत दस्तावेजों को तालिकानुसार फ्लेग के साथ प्राचार्य / संस्था के सचिव से अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाकर महाविद्यालय की सील सहित विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।
- 2 नवीन आवेदित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश तभी दिया जावे जब कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त की हो। किसी भी महाविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय की संबद्धता प्राप्त किये बगैर विद्यार्थियों को प्रवेश देना है तो इसकी संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालय / संस्था की होगी। विश्वविद्यालय की कोई जबाबदारी नहीं होगी। ऐसे दोषी पाये गये महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी। आनलाईन आवेदन नहीं करने पर अस्थाई संबद्धता / स्थाई संबद्धता / नवीनीकरण / सीट संख्या में वृद्धि प्रकरण पर कार्यवाही नहीं की जावेगी। जिसकी संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालय / संस्था की होगी।
- 3 महाविद्यालयों से प्राप्त किया जाने वाली शुल्क पूर्व बकाया शुल्क का विवरण लेखा www.bu.bhopal.ac.in पर प्रदर्शित किया गया है। शुल्क संबंधी पत्रों का महाविद्यालयों द्वारा प्रतिक्षा नहीं की जावे।
- 4 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पारम्परिक एवं विधि (लॉ) पाठ्यक्रमों के लिये जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र / निरंतरता आदेश के पश्चात 07 दिवस के अंदर संबंधित विश्वविद्यालय में निरंतरता / संबद्धता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- 5 मार्गदर्शिका सत्र 2020-21 का बिन्दु क्र. 3.2 के परन्तुक .5 के अनुसार सत्र 2020-21 से अब कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कमी पूर्ति हेतु पत्र जारी किये जाने का प्रावधान नहीं होगा।

पृ. क. 3977 / अकादमी / संबद्धता / 2020

प्रतिलिपि :

- 1-बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध समस्त शास. एवं अशा. महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं डीन की ओर पालनार्थ।
- 1-राज्यपाल के अवर सचिव राजभवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2-अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 3-आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 4-क्षेत्रिय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक परिषद श्यामला हिल्स मानस भवन, भोपाल
- 5-संचालक तकनीकी शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल
- 8- उपकुलसचिव परीक्षा/गोपनीय विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
- 9- कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित
- 10-वेबसाईट प्रभारी, उपरोक्त अधिसूचना को वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- 11- संबंधित नस्ती।

भोपाल, दिनांक

04/3/2020

कुलसचिव

उप-कुलसचिव, अकादमी